15/3/18 पत्रावली प्राप्त हुई। [illegible] अग्रेतर राजकीय/[illegible] में [illegible] 9/4/18
पत्रावली अग्रिम आदेश दि० [illegible]
को पेश हो।

09/4/18 पत्रावली प्राप्त हुई। [illegible] अग्रेतर राजकीय/[illegible] में [illegible] 10/5/18
पत्रावली अग्रिम [illegible]
को पेश हो।

10/5/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 ग्रा०प० जामडोली में पेश हुआ। अवलोकन किया गया। आवेदक/प्रार्थी नन्दकिशोर उपाध्याय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे-काश्त की भूमि ख०नं० 144 रकबा 05-05 बीघा कोड ग्रा० जामडोली में निर्माण-बौंली सड़क की लाल स्याही से की गई तरमीम को अवैध व निरस्त घोषित किया जाकर हाल राजस्व अभिलेख में मौके एवं सार्व० निर्माण विभाग में तरमीमशुदा सड़क के अनुसार तरमीम को सही कर दुरुस्त किया जावे।

रिपोर्ट तहसीलदार निकाई ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट ख०नं० 144 रकबा 01-00 बीघा किस्म गैर मुमकिन सड़क महकमा PWD के नाम

तारीख अहकाम हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के प्रार्थना व रिपोर्ट तहसीलदार निवाई का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मनन फायाफ्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी के ख.नं. 144 के मध्य ले की गई सड़क की तरमीम सही नहीं है। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्तशुदा भूमि को मौके पर सड़क अनुसार छोड़ा जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 144/2 रकबा 05-05 बीघा वाके ग्राम जामडोली की तरमीम दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार निवाई को दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो क्या दफ्तर दाखिल हो।

10/5/18

केदारमल मीणा
तहसीलदार
जामडोली
निवाई, जिला टोंक